

न्यायालय तहसीलदार कोटपूतली जयपुर राज.

पीठासीन अधिकारी
श्री अनूप सिंह. (आरटीएस)
दिनांक 16.12.2019

मि.न 46/2019

सरकार बनाम कमलादेवी
निर्णय

पत्रावली पेश हुई । अतिचारी अनुपस्थित

सूक्ष्म वृत्तान्त इस प्रकार है कि पटवारी हल्का मोहनपुरा ने एक रिपोर्ट इस आशय की पेश कि है कि सम्वत 2076में वाके ग्राम मोहनपुरा तहसील कोटपूतली के ख0 न0 2/16/0.0504 पर श्रीमति कमला देवी पत्नि जगदीश प्रसाद, विमला देवी, मीना ,किरण,संतोष ,मंजू पुत्रियान जगदीश प्रसाद एवं सरला देवी पत्नि नरेश जाति अहीर निवासी मोहनपुरा तहसील कोटपूतली ने बिना सक्षम स्वीकृति कृषि भूमि को मौके पर आवासीय कालोनी विकसित कर अकृषि उपयोग किया जा रहा है। अतः रिपोर्ट पटवारी दर्ज रजिस्टर कर । अतिचारियों को विधिवत एल.आर. एक्ट 1956 की धारा 91 सहपठित धारा 90 ए के तहत नोटिस दिये गये । बाद तामिल नोटिस संलग्न पत्रावली किया गया।सूचनापरांत अतिचारी उपस्थित नहीं आये तथा ना ही जबाब पेश किया । अतः अतिचारी के विरुद्ध एक पक्षिय कार्यवाही अमल मे लाई जाती है। पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर गौर किया तो विवेचन पर पाया कि अतिचारी ने बिना सक्षम स्वीकृति के कृषि भूमि का अकृषि उपयोग किया है जो अतिचार की श्रेणी में आता है। अतिचारियों के विरुद्ध कार्यवाही किया जाना उचित है ।

अतः श्रीमति कमला देवी पत्नि जगदीश प्रसाद, विमला देवी, मीना ,किरण,संतोष ,मंजू पुत्रियान जगदीश प्रसाद एवं सरला देवी पत्नि नरेश जाति अहीर निवासी मोहनपुरा तहसील कोटपूतली को वाके ग्राम मोहनपुरा तहसील कोटपूतली के ख0 न0 2/16/0.0504 है0 पर किये गये उक्त कृत्य के लिय अतिचारी धोषित करते हुये उक्त आराजियात पर किये गये निर्माण को ध्वस्त किया जाकर बेदखल किये जाने के आदेश दिये जाते हैं तथा बिना सक्षम स्वीकृति के कृषि भूमि का आवासीय उपयोग करने के आरोप में लगान राशी 0.13रू का पचास गुणा 10 रू,अर्थ दण्ड के रूप में जुर्माना किया जाता है। वास्ते बेदखली ,पैलन्टी वसूली भू अभिलेख निरीक्षक व पटवारी हल्का को लिखा जावे। मांग कायमी हेतु तहसील राजस्व लेखाकार को तहरीर जारी हो। निर्णयानुसार कार्यवाही पूर्ण होकर पत्रावली बाद तकमिल दाखिल दफतर होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय आज दिनांक 16.12.2019को सरे इजलास सुनाया गया।

तहसीलदार
कोटपूतली (जयपुर)